प्रश्न सं. [क्र. 2113]

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018—श्रावण 8, शक 1940

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र.एफ 1–59/2018/20–1:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) से संबंधित निम्नलिखित सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

के उपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है वरिष्ठता का दावा नही रखेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य/अधीनस्थ सिविल सेवा में किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये उसके कारण अभिलिखित करेगी।

16. पदोन्नति समिति में प्रतिनिधित्वः–

यदि पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाने वाले पदो के संबंध में पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोडकर नाम निर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी प्रवर्ग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य जो उसी स्तर का या उसके उच्चतर स्तर का होगा, पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढाई जाएगी।

17. वरिष्ठता का निर्धारणः–

(1) प्राथमिक शिक्षक का जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग में नियम–5 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के अधीन नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर अध्यापक संवर्ग में उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक एवं चयन सूची के क्रम अनुसार, जिला स्तर पर संदर्भ सूची तैयार कर किया जाएगा। एक ही वरिष्ठता क्रम पर एक से अधिक व्यक्ति आते है तो, जिसकी आयु अधिक होगी उसे वरिष्ठ माना जायेगा एवं कम आयु वाले को उसके नीचे रखा जाएगा। नियुक्ति आंदेश दिनांक, चयन सूची का क्रमांक एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अध्यापक के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाकर नियुक्तिकर्तावार संदर्भ सूची तैयार कर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।

(2) प्रत्येक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची में 15 दिवस की समय सीमा में संबंधितों से दावे/आपत्तियां प्राप्त कर नियमानुसार वरिष्ठता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

(3) अध्यापक संवर्ग में एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन किए गए अध्यापकों की संबंधित नवीन निकाय में पदभार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।

(4) प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन प्रथम बार इस नियम के प्रवर्त होने के तीन माह के भीतर और इसके बाद प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में किया जाएगा।

(5) माध्यमिक शिक्षक का संवर्ग संभाग स्तरीय होगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संभाग स्तर पर उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार किया जाएगा।

(6) उच्च माध्यमिक शिक्षक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संचालनालय स्तर पर उपरोक्त उपनियम (1) अनुसार किया जाएगा।

(7) वरिष्ठता निर्धारण संबंधी उदभूत स्थिति का निराकरण हेतु शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

18. सेवा की अन्य शर्तेः–

(1) स्थानीय निकाय के अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा विहित किये गये अनुसार इस सेवा में नियुक्ति के लिये परिशिष्ट–एक अनुसार विकल्प देना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने पर नियम–5 के उपनियम (1), (2) एवं (3) अनुसार नियुक्ति की पात्रता प्राप्त नहीं होगी ।

(2) इस सेवा में नियम–5 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के तहत नियुक्त किये गये अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति इस नियम के प्रभावशील होने के पूर्व की अवधि के वेतनमान, भत्तों एवं योजना आदि को इस सेवा के संदर्भ में प्राप्त करने के हकदार नही होगें।

(3) शासन द्वारा शालाओं में उपस्थिति दर्ज कराने तथा ड्रेस कोड के संबंध में जो भी अनुदेश समय–समय पर जारी किये जाएं, वे इन नियमों के अधीन नियुक्त और पदोन्नत किये गये व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 35) की धारा–24 में यथा विहित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :–

(एक) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन;

(दो) पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना ;

(तीन) विर्निदिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना;

(चार) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण,यदि कोई हो, जोड़ना;

(पांच) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने

अनुभाग अधिकारी